



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-04072026-274119
CG-DL-E-04072026-274119

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 189]
No. 189]

नई दिल्ली, मंगलवार, जून 30, 2026/ आषाढ 9, 1948
NEW DELHI, TUESDAY, JUNE 30, 2026/ ASHADHA 9, 1948

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय
(वाणिज्य विभाग)

(व्यापार उपचार महानिदेशालय)

जांच की शुरुआत की अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 जून, 2026

मामला सं. : एडी/ओआई/035/2026

विषय: चीन जनवादी गणराज्य तथा यूरोपीय संघ के मूल के अथवा वहां से निर्यातित सायन्यूरिक क्लोराइड के आयातों के संबंध में पाटन-रोधी जांच की शुरुआत के लिए प्रस्ताव।

फा. सं. 6/37/2026-डीजीटीआर.— 1. सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (समय-समय पर संशोधित) (जिसे आगे “अधिनियम” कहा गया है) तथा सीमा शुल्क टैरिफ (पारित वस्तुओं पर पाटन-रोधी शुल्क की पहचान, आकलन एवं संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 (समय-समय पर संशोधित) (जिसे आगे “नियमावली” कहा गया है) के प्रावधानों के अनुसार, सुपरफॉर्म केमिस्ट्रीज लिमिटेड (जिसे आगे “आवेदक” कहा गया है) ने नामित प्राधिकारी (जिसे आगे “प्राधिकारी” कहा गया है) के समक्ष एक आवेदन प्रस्तुत किया है, जिसमें चीन जनवादी गणराज्य तथा यूरोपीय संघ (जिन्हें आगे “संबद्ध देश” कहा गया है) के मूल के अथवा वहां से निर्यातित सायन्यूरिक क्लोराइड (जिसे आगे “विचाराधीन उत्पाद”

अथवा “संबद्ध वस्तुएं” अथवा “पीयूसी” कहा गया है) के आयातों के संबंध में पाटन-रोधी जांच प्रारंभ किए जाने का अनुरोध किया गया है।

2. आवेदक ने यह आरोप लगाया है कि संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं के पारित आयातों के कारण घरेलू उद्योग को महत्वपूर्ण क्षति हो रही है तथा उसने संबद्ध देशों के मूल के अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तुओं के आयातों पर पाटन-रोधी शुल्क लगाए जाने का अनुरोध किया है।

क. विचाराधीन उत्पाद

3. वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद सायन्यूरिक क्लोराइड है। इस उत्पाद को 2,4,6-ट्राइक्लोरो-1,3,5-ट्रायजीन, 1,3,5-ट्रायजीन, 2,4,6-ट्राइक्लोरो-, एस-ट्रायजीन, 2,4,6-ट्राइक्लोरो- तथा ट्राइक्लोरो-ट्रायजीन के नाम से भी जाना जाता है।

4. यह तीव्र गंध वाला सफेद क्रिस्टलीय कार्बनिक यौगिक है। उत्पाद का आणविक भार 184.41 ग्राम प्रति मोल है तथा इसका गलनांक लगभग 146 डिग्री सेल्सियस है। यह जल में विलेय है तथा 20 डिग्री सेल्सियस पर इसकी घुलनशीलता लगभग 0.44 ग्राम प्रति लीटर है। विचाराधीन उत्पाद का सामान्यतः 99 प्रतिशत सांद्रता (शुद्धता) वाले एक ही रूप में व्यापार किया जाता है।

5. सायन्यूरिक क्लोराइड का मुख्य कार्य विभिन्न डाउनस्ट्रीम रसायनों के निर्माण में एक प्रतिक्रियाशील रासायनिक मध्यवर्ती के रूप में कार्य करना है। इस उत्पाद का प्रमुख रूप से उपयोग कृषि रसायन, औषधि तथा रंजक एवं वर्णक उद्योगों में किया जाता है।

6. वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद के लिए माप की इकाई मीट्रिक टन (एमटी) मानी गई है।

7. विचाराधीन उत्पाद का सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 के अंतर्गत कोई पृथक टैरिफ कोड नहीं है। विचाराधीन उत्पाद का आयात 2916 39 90, 2933 39 90, 2933 69 10, 2933 69 90 तथा 2933 71 00 के अंतर्गत किया जा रहा है। तथापि, सीमा शुल्क वर्गीकरण केवल सांकेतिक है और वर्तमान जांच के कार्यक्षेत्र पर बाध्यकारी नहीं है।

8. आवेदक ने कोई उत्पाद नियंत्रण संख्या (पीसीएन) कार्यप्रणाली प्रस्तावित नहीं की है। हितबद्ध पक्षकारों को सलाह दी जाती है कि वे विचाराधीन उत्पाद के कार्यक्षेत्र तथा पीसीएन कार्यप्रणाली, यदि कोई हो, के संबंध में अपनी टिप्पणियां/सुझाव इस जांच की शुरुआत की सूचना प्राप्त होने के प्रसार की तिथि से पंद्रह (15) दिनों के भीतर प्रस्तुत करें।

ख. समान वस्तु

9. आवेदक ने प्रस्तुत किया है कि उसके द्वारा उत्पादित वस्तु तथा संबद्ध देशों से निर्यातित वस्तुओं में कोई अंतर नहीं है। आवेदक द्वारा उत्पादित वस्तु तथा चीन जनवादी गणराज्य और यूरोपीय संघ से आयातित वस्तु भौतिक एवं रासायनिक विशेषताओं, विनिर्माण प्रक्रिया एवं प्रौद्योगिकी, कार्यों एवं उपयोगों, उत्पाद विनिर्देशों, मूल्य निर्धारण, वितरण एवं विपणन तथा टैरिफ वर्गीकरण के संदर्भ में तुलनीय हैं। संबद्ध वस्तुएं तथा आवेदक द्वारा विनिर्मित वस्तुएं तकनीकी एवं वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय हैं। अतः वर्तमान जांच की शुरुआत के प्रयोजनार्थ, आवेदक द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तुओं को चीन जनवादी गणराज्य तथा यूरोपीय संघ से उत्पादित एवं आयातित विचाराधीन उत्पाद के समान वस्तु के रूप में माना गया है।

ग. घरेलू उद्योग और उसकी स्थिति

10. यह आवेदन सुपरफॉर्म केमिस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा प्रस्तुत किया गया है। आवेदक ने दावा किया है कि वह भारत में संबद्ध वस्तुओं का एकमात्र उत्पादक है। आवेदक ने यह भी प्रमाणित किया है कि उसने न तो संबद्ध वस्तुओं का आयात किया है और न ही उसका संबद्ध देशों के निर्यातकों अथवा भारत में आयातकों से कोई संबंध है।

11. अभिलेख पर उपलब्ध सूचना के आधार पर, प्राधिकारी संतुष्ट है कि आवेदक नियमावली के नियम 2(ख) के अर्थ में घरेलू उद्योग है। आवेदन नियम 5(3) के अंतर्गत पात्रता की अपेक्षाओं को पूरा करता है।

घ. संबद्ध देश

12. वर्तमान जांच में संबद्ध देश चीन जनवादी गणराज्य तथा यूरोपीय संघ हैं।

ङ. जांच की अवधि

13. आवेदक ने जांच की अवधि 1 अप्रैल, 2025 से 31 दिसंबर, 2025 प्रस्तावित की थी। तथापि, प्राधिकारी ने जांच की अवधि 1 अप्रैल, 2025 से 31 मार्च, 2026 तक मानी है, जो कि 12 माह की अवधि है। क्षति जांच अवधि में वित्त वर्ष 2022-23, 2023-24, 2024-25 तथा वर्तमान जांच अवधि सम्मिलित हैं।

च. पाटन का आधार

i. चीन जनवादी गणराज्य के लिए सामान्य मूल्य

14. आवेदक ने चीन के परिग्रहण प्रोटोकॉल के अनुच्छेद 15(क)(i) का उल्लेख करते हुए उस पर भरोसा किया है तथा यह दावा किया है कि चीन जनवादी गणराज्य को गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाला देश माना जाना चाहिए तथा चीन जनवादी गणराज्य के उत्पादकों को यह प्रदर्शित करने हेतु निर्देशित किया जाना चाहिए कि विचाराधीन उत्पाद के उत्पादन एवं बिक्री के संबंध में उद्योग में बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियां विद्यमान हैं। जब तक चीन जनवादी गणराज्य के उत्पादक ऐसी बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियों के अस्तित्व को प्रदर्शित नहीं करते, उनका सामान्य मूल्य पाटन-रोधी नियमावली, 1995 के अनुबंध-1 के पैरा 7 एवं 8 के अनुसार निर्धारित किया जाना चाहिए।

15. आवेदक ने प्रस्तुत किया है कि बाजार अर्थव्यवस्था वाले किसी तीसरे देश में लागत एवं मूल्य से संबंधित आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। आवेदक ने यह भी प्रस्तुत किया है कि चूंकि उत्पाद का कोई पृथक वर्गीकरण नहीं है, अतः किसी देश से अन्य देश को निर्यात मूल्य को विचार में नहीं लिया जा सकता। इसलिए, सामान्य मूल्य के प्रयोजनार्थ, आवेदक ने भारत में देय अथवा चुकाए गए मूल्य के आधार पर सामान्य मूल्य का दावा किया है। आवेदक द्वारा दावा की गई सामान्य मूल्य कार्यप्रणाली को जांच की शुरुआत के प्रयोजनार्थ स्वीकार किया गया है।

ii. यूरोपीय संघ के लिए सामान्य मूल्य

16. आवेदक ने दावा किया है कि उसे यूरोपीय संघ के घरेलू बाजार में उत्पादकों के वास्तविक विक्रय मूल्य से संबंधित कोई सूचना उपलब्ध नहीं है। अतः आवेदक ने सामान्य मूल्य का दावा उत्पादन लागत के सर्वोत्तम अनुमान के आधार पर किया है, जिसे विक्रय, सामान्य एवं प्रशासनिक व्ययों तथा उचित लाभ मार्जिन के साथ समायोजित किया गया है। आवेदक द्वारा दावा की गई सामान्य मूल्य कार्यप्रणाली को जांच की शुरुआत के प्रयोजनार्थ स्वीकार किया गया है।

iii. निर्यात मूल्य

17. विचाराधीन उत्पाद के निर्यात मूल्य का निर्धारण डीजी सिस्टम के लेन-देन आधारित आयात आंकड़ों में रिपोर्ट की गई विचाराधीन उत्पाद की सीआईएफ कीमत को ध्यान में रखते हुए किया गया है। समुद्री भाड़ा, समुद्री बीमा, कमीशन, बैंक शुल्क, बंदरगाह व्यय तथा ऋण लागत के संबंध में समायोजन का दावा किया गया है।

iv. पाटन मार्जिन

18. सामान्य मूल्य और निर्यात मूल्य की तुलना एक्स-फैक्टरी स्तर पर की गई है, जिससे प्रथम दृष्टया यह स्थापित होता है कि संबद्ध देशों से आयातित विचाराधीन उत्पाद के संबंध में पाटन मार्जिन न केवल न्यूनतम सीमा से अधिक है, बल्कि महत्वपूर्ण भी है। अतः इस बात के पर्याप्त प्रथम दृष्टया साक्ष्य उपलब्ध हैं कि संबद्ध देशों के निर्यातकों द्वारा विचाराधीन उत्पाद का भारतीय घरेलू बाजार में पाटन किया जा रहा है।

छ. क्षति तथा कारणात्मक संबंध का साक्ष्य

19. आवेदक ने पारित आयातों के कारण हुई क्षति के संबंध में प्रथम दृष्टया साक्ष्य प्रस्तुत किए हैं। संबद्ध देशों से संबद्ध आयातों की मात्रा निरपेक्ष तथा सापेक्ष दोनों रूपों में बढ़ी है। पारित आयातों के कारण हुई मूल्य ह्रास ने कीमतों को पूर्ण लागत की वसूली तथा उचित प्रतिफल प्राप्त करने के स्तर तक पहुंचने से रोक दिया है। आवेदक अपनी क्षमता का उपयोग केवल एकल अंक के स्तर पर कर पा रहा है तथा वित्तीय हानियों, नकारात्मक नकद लाभ, ब्याज पूर्व हानि तथा नियोजित पूंजी पर नकारात्मक प्रतिफल के साथ कार्य कर रहा है। इस प्रकार, संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं के पारित आयातों के कारण आवेदक को क्षति पहुंचने के पर्याप्त प्रथम दृष्टया साक्ष्य उपलब्ध हैं।

ज. पाटन-रोधी जांच की शुरुआत

20. आवेदक द्वारा प्रस्तुत विधिवत पुष्ट लिखित आवेदन तथा संबद्ध देशों के मूल के अथवा वहां से निर्यातित विचाराधीन उत्पाद के पाटन, उक्त पाटन के परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग को हुई क्षति तथा ऐसी क्षति और पारित आयातों के बीच कारणात्मक संबंध के संबंध में आवेदक द्वारा प्रस्तुत प्रथम दृष्टया साक्ष्यों के आधार पर संतुष्ट होने के उपरांत तथा अधिनियम की धारा 9A एवं पाटन-रोधी नियमावली के नियम 5 के अनुसार, प्राधिकारी एतद्वारा विचाराधीन उत्पाद के संबंध में पाटन के अस्तित्व, उसकी मात्रा एवं प्रभाव का निर्धारण करने तथा ऐसे पाटन-रोधी शुल्क की उचित मात्रा की सिफारिश करने हेतु, जो लगाए जाने की स्थिति में घरेलू उद्योग को हुई क्षति को दूर करने के लिए पर्याप्त हो, पाटन-रोधी जांच प्रारंभ करता है।

झ. प्रक्रिया

21. वर्तमान जांच में पाटन-रोधी नियमावली के नियम 6 में निहित प्रावधानों का अनुपालन किया जाएगा।

ञ. सूचना प्रस्तुत करना

22. सभी हितबद्ध पक्षकारों को सेतु पोर्टल (<http://setu.dgtr.gov.in>) पर स्वयं को पंजीकृत करना आवश्यक है। हितबद्ध पक्षकारों के सभी संचार एवं प्रस्तुतियां उनके पंजीकृत नाम तथा संबंधित मामला संख्या **एडी/ओआई/035/2026 (AD/OI/035/2026)** के अंतर्गत सेतु पोर्टल पर अपलोड की जाएंगी। यह सुनिश्चित किया जाएगा कि प्रस्तुतियों का वर्णनात्मक भाग खोज योग्य पीडीएफ/एमएस-वर्ड प्रारूप में तथा आंकड़ों से संबंधित फाइलें एमएस-एक्सेल प्रारूप में हों।
23. संबद्ध देशों के ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों, भारत में स्थित संबद्ध देशों की सरकारों के दूतावासों तथा भारत में संबद्ध वस्तुओं से संबंधित ज्ञात आयातकों एवं उपयोगकर्ताओं को पृथक रूप से सूचित किया जा रहा है ताकि वे नीचे निर्धारित समय-सीमाओं के भीतर सभी प्रासंगिक सूचनाएं प्रस्तुत कर सकें।
24. कोई अन्य हितबद्ध पक्षकार भी नीचे निर्धारित समय-सीमा के भीतर वर्तमान जांच से संबंधित अपनी प्रस्तुतियां कर सकता है। प्राधिकारी के समक्ष कोई भी गोपनीय प्रस्तुति करने वाले पक्ष को उसी का एक अगोपनीय संस्करण अन्य हितबद्ध पक्षकारों के लिए उपलब्ध कराना आवश्यक होगा।
25. हितबद्ध पक्षकारों को इस जांच से संबंधित अद्यतन सूचनाओं के लिए व्यापार उपचार महानिदेशालय की आधिकारिक वेबसाइट (www.dgtr.gov.in) तथा सेतु पोर्टल (<http://setu.dgtr.gov.in>) का नियमित रूप से अवलोकन करने की सलाह दी जाती है। हितबद्ध पक्षकारों को प्रश्नावली प्रारूप, पीसीएन कार्यप्रणाली, पीसीएन चर्चा/बैठक कार्यक्रम, मौखिक सुनवाई संबंधी सूचना, शुद्धिपत्र, संशोधन अधिसूचनाएं तथा अन्य संबंधित सूचनाओं से अवगत रहने हेतु डीजीटीआर की वेबसाइट का नियमित रूप से अवलोकन करना चाहिए।

ट. समय-सीमा

26. वर्तमान जांच से संबंधित सभी सूचनाएं हितबद्ध पक्षकारों द्वारा उनके पंजीकृत नाम एवं संबंधित मामला संख्या **एडी/ओआई/035/2026 (AD/OI/035/2026)** के अंतर्गत सेतु पोर्टल पर अपलोड की जाएंगी। प्रत्येक प्रस्तुति के दोनों संस्करण, अर्थात् गोपनीय संस्करण (CV) तथा अगोपनीय संस्करण (NCV), पाटन-रोधी नियमावली, 1995

के नियम 6 (4) के अनुसार, पहचाने गए हितबद्ध पक्षकारों को जांच की शुरुआत की सूचना तथा अन्य दस्तावेजों के संप्रेषण अथवा निर्यातक देश के उपयुक्त राजनयिक प्रतिनिधि को प्रेषण की तिथि से 37 दिनों के भीतर संबंधित निर्दिष्ट अनुभागों में अपलोड किए जाएंगे। यदि निर्धारित समय-सीमा के भीतर कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है अथवा प्राप्त सूचना अपूर्ण पाई जाती है, तो प्राधिकारी अभिलेख पर उपलब्ध तथ्यों एवं पाटन-रोधी नियमावली, 1995 के अनुसार अपने निष्कर्ष अभिलिखित कर सकता है।

27. सभी हितबद्ध पक्षकारों को सलाह दी जाती है कि वे इस मामले में अपनी रुचि (जिसमें रुचि की प्रकृति भी शामिल है) की सूचना दें तथा उपर्युक्त समय-सीमा के भीतर केवल सेतु पोर्टल के माध्यम से अपनी प्रश्नावली प्रतिक्रियाएं दायर करें।
28. विचाराधीन उत्पाद (PUC) के कार्यक्षेत्र एवं पीसीएन कार्यप्रणाली पर टिप्पणियां प्रस्तुत करने हेतु निर्धारित 15 दिनों की अवधि इस जांच की शुरुआत की अधिसूचना में उल्लिखित समय-सीमा के साथ-साथ चलेगी।
29. विचाराधीन उत्पाद/पीसीएन में संशोधन के कारण समय-विस्तार: यदि प्राधिकारी किसी पश्चातवर्ती सूचना के माध्यम से विचाराधीन उत्पाद एवं पीसीएन में ऐसा संशोधन करता है, जो पूर्व में प्रस्तावित नहीं था अथवा जो प्रारंभिक अधिसूचना से भिन्न है, तो 15 दिनों का अतिरिक्त समय प्रदान किया जाएगा। यह अतिरिक्त अवधि संशोधित विचाराधीन उत्पाद एवं पीसीएन की अधिसूचना की तिथि से प्रारंभ होगी। यह अतिरिक्त अवधि उन मामलों में लागू नहीं होगी जहां जांच की शुरुआत के पश्चात विचाराधीन उत्पाद एवं पीसीएन कार्यप्रणाली में कोई परिवर्तन नहीं किया गया हो। 15 दिनों की इस अवधि से अतिरिक्त समय-विस्तार के अनुरोधों पर सामान्यतः विचार नहीं किया जाएगा, सिवाय असाधारण परिस्थितियों के तथा यह पाटन-रोधी नियमावली के प्रासंगिक प्रावधानों के अनुरूप होगा।
30. समय-विस्तार के लिए कोई भी अनुरोध संबंधित पक्षों द्वारा मूल समय-सीमा से कम-से-कम एक दिन पूर्व सेतु पोर्टल के माध्यम से प्रस्तुत किया जाना आवश्यक होगा। इसके पश्चात प्रस्तुत अनुरोधों पर विचार नहीं किया जाएगा।

ठ. गोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करना

31. यदि वर्तमान जांच में कोई पक्ष प्राधिकारी के समक्ष गोपनीय आधार पर कोई प्रस्तुति करता है अथवा सूचना उपलब्ध कराता है, तो उसे नियमावली के नियम 7(2) तथा इस संबंध में प्राधिकारी द्वारा जारी प्रासंगिक व्यापार सूचनाओं के अनुसार उसी सूचना का एक अगोपनीय संस्करण साथ-साथ प्रस्तुत करना होगा। उपर्युक्त का अनुपालन न करने पर प्रतिक्रिया/प्रस्तुतियां अस्वीकार की जा सकती हैं।
32. प्रश्नावली प्रतिक्रियाओं सहित प्राधिकारी के समक्ष कोई भी प्रस्तुति (तथा उससे संलग्न परिशिष्ट/अनुलग्नक) करने वाले पक्षों को उसके गोपनीय एवं अगोपनीय संस्करण पृथक-पृथक दायर करने होंगे।
33. ऐसी प्रस्तुतियों के प्रत्येक पृष्ठ के शीर्ष पर स्पष्ट रूप से 'गोपनीय' अथवा 'अगोपनीय' अंकित होना चाहिए। इस प्रकार के अंकन के बिना प्रस्तुत किसी भी दस्तावेज को प्राधिकारी द्वारा 'अगोपनीय' माना जाएगा तथा प्राधिकारी अन्य हितबद्ध पक्षकारों को उसका निरीक्षण करने की अनुमति देने के लिए स्वतंत्र होगा।
34. गोपनीय संस्करण में वह समस्त सूचना सम्मिलित होगी जो स्वभावतः गोपनीय है अथवा जिसे सूचना का आपूर्तिकर्ता गोपनीय के रूप में चिह्नित करना चाहता है। ऐसी किसी भी सूचना के संबंध में, जिस पर गोपनीयता का दावा किया गया है, सूचना के आपूर्तिकर्ता को यह स्पष्ट करते हुए एक उचित कारण विवरण प्रस्तुत करना होगा कि ऐसी सूचना का प्रकटीकरण क्यों नहीं किया जा सकता।
35. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा दायर सूचना का अगोपनीय संस्करण गोपनीय संस्करण की प्रतिकृति होना चाहिए, जिसमें गोपनीय सूचनाओं को यथासंभव अनुक्रमित अथवा (जहां अनुक्रमण संभव न हो) रिक्त कर दिया गया हो तथा ऐसी सूचना का उपयुक्त एवं पर्याप्त सारांश प्रस्तुत किया गया हो।

36. अगोपनीय सारांश में पर्याप्त विवरण होना चाहिए जिससे गोपनीय आधार पर प्रस्तुत सूचना की विषय-वस्तु को युक्तिसंगत रूप से समझा जा सके। तथापि, असाधारण परिस्थितियों में, गोपनीय सूचना प्रस्तुत करने वाला पक्ष यह इंगित कर सकता है कि ऐसी सूचना का सारांश तैयार करना संभव नहीं है। ऐसे मामलों में, नियम 7 तथा प्राधिकारी द्वारा जारी उपयुक्त व्यापार सूचनाओं के अनुसार पर्याप्त कारणों सहित यह स्पष्ट किया जाना चाहिए कि सारांश तैयार करना क्यों संभव नहीं है।
37. हितबद्ध पक्षकार अन्य पक्षों द्वारा किए गए गोपनीयता दावों पर, दस्तावेजों के अगोपनीय संस्करण के प्रसार की तिथि से 7 दिनों के भीतर अपनी टिप्पणियां प्रस्तुत कर सकते हैं।
38. सार्थक अगोपनीय संस्करण अथवा नियम 7 एवं प्रासंगिक व्यापार सूचनाओं के अनुसार पर्याप्त कारण विवरण के बिना प्रस्तुत किसी भी प्रस्तुति को प्राधिकारी अभिलेख पर नहीं लेगा।
39. प्राधिकारी प्रस्तुत सूचना की प्रकृति की जांच के पश्चात गोपनीयता के अनुरोध को स्वीकार अथवा अस्वीकार कर सकता है। यदि प्राधिकारी यह पाता है कि गोपनीयता का दावा उचित नहीं है अथवा सूचना का आपूर्तिकर्ता उसे सार्वजनिक करने अथवा सामान्यीकृत अथवा सारांश रूप में प्रकट करने की अनुमति देने के लिए तैयार नहीं है, तो प्राधिकारी ऐसी सूचना की उपेक्षा कर सकता है।
40. प्राधिकारी, सूचना की गोपनीयता की आवश्यकता से संतुष्ट होने पर, सूचना प्रदान करने वाले पक्ष की विशिष्ट अनुमति के बिना ऐसी सूचना किसी अन्य पक्ष को प्रकट नहीं करेगा।

ड. सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण

41. किसी भी हितबद्ध पक्षकार द्वारा की गई प्रस्तुतियों के सभी अगोपनीय संस्करण अन्य हितबद्ध पक्षकारों को सेतु पोर्टल पर उनके संबंधित लॉगिन के माध्यम से उपलब्ध होंगे।

ढ. असहयोग

42. यदि कोई हितबद्ध पक्षकार आवश्यक सूचना उपलब्ध कराने से इंकार करता है, निर्धारित अवधि के भीतर आवश्यक सूचना उपलब्ध नहीं कराता है अथवा जांच में महत्वपूर्ण बाधा उत्पन्न करता है, तो प्राधिकारी ऐसे हितबद्ध पक्षकार को असहयोगी घोषित कर सकता है तथा उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने निष्कर्ष अभिलिखित कर सकता है और केंद्र सरकार को ऐसी सिफारिशें कर सकता है जिन्हें वह उचित समझे।

अमिताभ कुमार, निर्दिष्ट प्राधिकरण

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF TRADE REMEDIES)

INITIATION NOTIFICATION

New Delhi, the 30th June, 2026

CASE No. AD/OI/035/2026

Subject: Initiation of anti-dumping investigation concerning imports of Cyanuric Chloride from China PR and European Union

F. No. 6/37/2026-DGTR: 1. Having regards to the Customs Tariff Act, 1975 as amended from time to time (hereinafter referred as the 'Act') and the Customs Tariff (Identification, Assessment, and Collection of Anti-Dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, as amended from time to time (hereinafter referred to as the 'Rules'), Superform Chemistries Limited (hereinafter referred to as the 'applicant') has filed an application before the Designated Authority (hereinafter referred to as the 'Authority'), for initiation of an

anti-dumping investigation on imports of Cyanuric Chloride (hereinafter referred to as the 'product under consideration' or 'subject goods' or 'PUC'), originating in or exported from China PR and European Union (hereinafter referred to as the 'subject countries').

2. The applicant has alleged that material injury is being caused due to the dumped imports of the subject goods from the subject countries and has requested for the imposition of the anti-dumping duties on the imports of the subject goods, originating in or exported from the subject countries.

A. Product under consideration.

3. The product under consideration in the present investigation is Cyanuric Chloride. The product is also known as 2,4,6-Trichloro-1,3,5-triazine, 1,3,5-Triazine, 2,4,6-trichloro-, Triazine, 2,4,6-trichloro-, Trichlorotriazine.
4. It is a white crystalline organic compound with a pungent odour. The product has a molecular weight of 184.41 g/mol and a melting point of approximately 146°C. It is soluble in water, with solubility of about 0.44 g/l at 20°C. The product under consideration is generally traded in one form with 99% concentration (purity).
5. Cyanuric Chloride's primary function is to act as a reactive chemical intermediate used in the manufacture of a wide range of downstream chemicals. The product is majorly used in the agrochemicals, pharmaceuticals, and dyes and pigments industries.
6. The unit of measurement considered in the present investigation for the product under consideration is Metric Tons (MT).
7. The product under consideration does not have a dedicated code under Customs Tariff Act, 1975. The product under consideration is being imported under 2916 39 90, 2933 39 90, 2933 69 10, 2933 69 90 and 2933 71 00. The custom classification code is indicative only and is not binding on the scope of the present investigation.
8. The applicant has not proposed any PCN methodology. The interested parties are advised to furnish their comments/suggestions on the scope of product under consideration and PCN methodology, if any, within 15 days of circulation of the receipt of the intimation of the initiation of this investigation.

B. Like article

9. The applicant has stated that there is no difference in the article produced by the applicant and exported from the subject countries. The article produced by the applicant and that imported from China PR and European Union are comparable in terms of physical and chemical characteristics, manufacturing process and technology, functions and uses, product specifications, pricing, distribution and marketing and tariff classification of the subject goods. The subject goods and the article manufactured by the applicant are technically and commercially substitutable. Thus, for the purpose of initiation of the present investigation, the subject goods produced by the applicant are being treated as "like article" to the product under consideration produced and imported from China PR and European Union.

C. Domestic industry & standing

10. The application has been filed by Superform Chemistries Limited. The applicant has claimed that they are the sole producer of the subject goods in India. The applicant has further certified that they have not imported the subject goods nor related to the exporters from the subject countries or importers in India.
11. Based on information available on record, the Authority is satisfied that the applicant constitutes domestic industry within the meaning of Rule 2(b). The application satisfies the requirements of standing in terms of Rule 5(3).

D. Subject countries

12. The subject countries in the present investigation are China PR and European Union.

E. Period of investigation.

13. The applicant had proposed the period of investigation as 1st April 2025 to 31st December 2025. However, the Authority has considered period of investigation as 1st April 2025 to 31st March 2026, which is a 12-month period. The injury information period covers the financial year of 2022-23, 2023-24, 2024-25 and the period of investigation.

F. Basis of alleged dumping.

i. Normal value for China PR

14. The applicant has cited and relied upon Article 15(a) (i) of China's Accession Protocol and has claimed that China PR should be treated as a non-market economy and that producers from China PR should be directed to demonstrate that market economy conditions prevail in the industry with regard to the production and sales of the product under consideration. Unless the producers from China PR show that such market economy

conditions prevail, their normal value should be determined in accordance with Para 7 and 8 of Annexure-I to the Anti-Dumping Rules, 1995.

15. The applicant has submitted that data relating to cost and price in market economy third country is not available. The applicant has submitted that since the product does not have dedicated classification, the price from a country to other country cannot be considered. Therefore, for the purpose of normal value, the applicant has claimed normal value as per the price paid or payable in India. The normal value methodology as claimed by the applicant has been considered for initiation.

ii. Normal value of European Union

16. The applicant has claimed that it does not have access to any information regarding actual selling price of the producers in the domestic market of European Union. Therefore, applicant has claimed the normal value based on the best estimates of cost of production, duly adjusted with selling, general and administrative expenses, along with a reasonable profit margin. The normal value methodology as claimed by the applicant has been considered for initiation.

iii. Export price

17. The export price of the product under consideration has been determined by considering the CIF price of the product under consideration as reported in DG System transaction wise import data. Adjustments have been claimed for ocean freight, marine insurance, commission, bank charges, port expenses and credit costs.

iv. Dumping margin

18. The normal value and the export price have been compared at the ex-factory level, which *prima facie* establishes that the dumping margin with respect to the product under consideration imported from the subject countries is not only above the *de minimis* level but is also significant. Thus, there is sufficient *prima facie* evidence that the product under consideration is being dumped in the domestic market of India by the exporters from the subject countries.

G. Evidence of injury and causal link.

19. The applicant has provided *prima facie* evidence with respect to the injury suffered by the applicant because of dumped imports. The volume of the subject imports from the subject countries has increased in absolute terms as well as relative term. The price depression caused by dumped imports have prevented the price movement to recover the full cost and achieve a reasonable rate of return. The applicant is only able to utilize its capacity in single digit and is operating with financial losses, negative cash profit, loss before interest and negative return on capital employed. There is sufficient *prima facie* evidence of injury being caused to the applicant by dumped imports of subject goods from the subject countries.

H. Initiation of anti-dumping investigation

20. On the basis of the duly substantiated written application submitted by the applicant and having reached satisfaction based on the *prima facie* evidence submitted by the applicant concerning the dumping of the product under consideration originating in or exported from the subject countries, the consequential injury to the domestic industry as a result of the alleged dumping of the product under consideration and the causal link between such injury and the dumped imports, and in accordance with Section 9A of the Act read with Rule 5 of the AD Rules, the Authority, hereby, initiates an anti-dumping investigation to determine the existence, degree, and effect of the dumping with respect to the product under consideration originating in or exported from subject countries and to recommend the appropriate amount of anti-dumping duty, which if levied, would be adequate to remove the injury to the domestic industry.

I. Procedure

21. The provisions stipulated in Rule 6 of the Anti-Dumping Rules shall be followed in this investigation.

J. Submission of information

22. All the interested parties are required to register themselves on SETU Portal (<http://setu.dgtr.gov.in>). All communications and submissions from the interested parties shall be uploaded on the SETU portal under their registered name and corresponding case ID-AD/OI/035/2026. It should be ensured that the narrative part of the submission is in searchable PDF/MS-Word format and data files are in MS-Excel format.
23. The known producers/exporters in subject countries, the government of subject countries through their Embassy in India, and the importers and users in India known to be concerned with the subject goods are being informed separately to enable them to file all the relevant information within the time limits set out below.

24. Any other interested party may also make a submission relevant to the present investigation in the form and manner within the time limits set out below. Any party making any confidential submission before the Authority is required to make a non-confidential version of the same available to the other interested parties.
25. The interested parties are further advised to keep a regular watch on the official website of Directorate General of Trade Remedies at www.dgtr.gov.in and SETU portal (<http://setu.dgtr.gov.in>) for any updated information with respect to this investigation. Interested parties are directed to regularly visit the website of the DGTR (<http://dgtr.gov.in/>) to stay apprised with the further developments in the subject investigation and remain informed regarding notices that may be issued from time to time regarding questionnaire formats, PCN methodology, PCN discussion/meeting schedule, notice of oral hearing, corrigendum, amendment notifications and other such information.

K. Time limit

26. Any information relating to the present investigation must be uploaded by the interested parties on the SETU portal (<http://setu.dgtr.gov.in>) under their registered name and corresponding case ID - AD/OI/035/2026. Both version of each submission, the confidential version (CV) and the non-confidential version (NCV) must be uploaded in the respective designated columns within 37 days from which notice of initiation calling for information and other documents is communicated to the identified interested parties, or transmitted to the appropriate diplomatic representative of the exporting country, in accordance with Rule 6(4) of the Anti-Dumping Rules, 1995. If no information is received within the stipulated time limit or the information received is incomplete, the Authority may record its findings based on the facts available on record and in accordance with the AD Rules, 1995.
27. All the interested parties are hereby advised to intimate their interest (including the nature of interest) in the instant matter and file their questionnaire responses within the above time limit as stipulated in this notification through SETU portal only.
28. The 15-day period to file comments on the scope of the PUC/PCN Methodology shall run concurrently with the time limit mentioned in this initiation notification.
29. Extension due to Modification of PUC/PCN: An extension of time by 15 days shall be granted if the Authority, through a subsequent notice, modifies the PUC and PCN that was not previously proposed or is different from the initiation notification. The extension of 15 days shall be granted from date of such notification of modified PUC and PCN. Extension of time by 15 days stated in this paragraph is not applicable in instances where there is no change in the PUC and PCN methodology, after initiation of investigation. Requests for a further extension of time, beyond the 15 days extension (if granted), will ordinarily not be considered except in case of exceptional circumstances, in line with the Rules 6(4) of the AD Rules.
30. Any request for an extension must be submitted by the concerned parties through the SETU portal at least one day before the original deadline. Requests submitted after this time will not be considered.

L. Submission of information on confidential basis

31. Where any party to the present investigation makes confidential submissions or provides information on a confidential basis before the Authority, such party is required to simultaneously submit a non-confidential version of such information in terms of Rule 7(2) of the Rules and in accordance with the relevant trade notices issued by the Authority in this regard. Failure to adhere to the above may lead to rejection of the response/submissions.
32. The parties making any submission (including Appendices/Annexes attached thereto), before the Authority including questionnaire responses, are required to file confidential and non-confidential versions separately.
33. Such submissions must be clearly marked as 'confidential' or 'non-confidential' at the top of each page. Any submission that has been made to the Authority without such markings shall be treated as 'non-confidential' information by the Authority, and the Authority shall be at liberty to allow other interested parties to inspect such submissions.
34. The confidential version shall contain all information which is, by nature, confidential, and/or other information, which the supplier of such information claims as confidential. For the information which is claimed to be confidential by nature, or the information on which confidentiality is claimed because of other reasons, the supplier of the information is required to provide a good cause statement along with the supplied information as to why such information cannot be disclosed.
35. The non-confidential version of the information filed by the interested parties should be a replica of the confidential version with the confidential information preferably indexed or blanked out (where indexation is not possible) and such information must be appropriately and adequately summarized depending upon the information on which confidentiality is claimed.

36. The non-confidential summary must be in sufficient detail to permit a reasonable understanding of the substance of the information furnished on a confidential basis. However, in exceptional circumstances, the party submitting the confidential information may indicate that such information is not susceptible to summary, and a statement of reasons containing a sufficient and adequate explanation in terms of Rule 7 of the Rules, 1995, and appropriate trade notices issued by the Authority, as to why such summarization is not possible, must be provided to the satisfaction of the Authority.
37. The interested parties can offer their comments on the issues of confidentiality within 7 days from the date of circulation of the non-confidential version of the documents.
38. Any submission made without a meaningful non-confidential version thereof or a sufficient and adequate cause statement in terms of Rule 7 of the Rules, and appropriate trade notices issued by the Authority, on the confidentiality claim shall not be taken on record by the Authority.
39. The Authority may accept or reject the request for confidentiality on examination of the nature of the information submitted. If the Authority is satisfied that the request for confidentiality is not warranted or if the supplier of the information is either unwilling to make the information public or to authorize its disclosure in generalized or summary form, it may disregard such information.
40. The Authority on being satisfied and accepting the need for confidentiality of the information provided, shall not disclose it to any party without specific authorisation of the party providing such information.

M. Inspection of public file

41. All non-confidential versions of submissions made by any interested party will be accessible to other interested parties through their respective login on the SETU Portal.

N. Non-cooperation

42. In case any interested party refuses access to and otherwise does not provide necessary information within a reasonable period or within the time stipulated by the Authority in this initiation notification, or significantly impedes the investigation, the Authority may declare such interested party as non-cooperative and record its findings based on the facts available and make such recommendations to the Central Government as it deems fit.

AMITABH KUMAR, Designated Authority